

२५

30.6.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपरि-थित प्रकरण
के मूल वाद में प्र.स. 64/94 व अनवरत मुलीवार्ड
बनाम धामुनार्ड अ.धा. 88-53-188 RTA का सिद्ध
नहीं होने से वादी गण का दावा खारिज हो चुका है।
ऐसी स्थिति में यह प्रा.पत्र चलने योग्य नहीं है।
प्रा.पत्र अ.धा. 144 संव. 51. CPC का खारिज किया
जाता है। पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

२५